ISBN:- 978-93-5167-551-8

RISING INDIA

Domestic and External Opportunities and Challenges

Chief Editor
Dr. Arunoday Bajpai

Rising India

Domestic and External Challenges and Opportunities

Chief Editor
Dr. ARUNODAY BAJPAI

ISBN : 978-93-5167-551-8

SBPD Publications

3/20-B, Near Tulsi Cinema, Agra-Mathura Bye-Pass Road, Agra 282002
Phone : 9412258083, 9411002869; Fax : 0562-2858183
email : sbpd.publications@gmail.com; Website : www.sahityabhawan.com

EDITORIAL BOARD

- Dr. ıoday Bajpai — Chief Editor
  Heac ›partment of Political Science
  Agra College Agra

- Dr. (Smt) Mrinal Sharma — Member
  Associate Professor, Political Science
  Agra College Agra

- Dr. (Smt) Seema Singh — Member
  Associate Professor, Political Sc'
  Agra ·llege Agra

- Dr. Sanı ingh — Member
  Assistant Professor, Political Science
  Agra College Agra

- Dr. Digvijay Narh Rai — Member
  Assistant Professor, Politic ınce
  Agra College Agra

- Dr. Shashi Kant Pandey — Member
  Associate Professor, Political Science
  Agra College Agra

- Dr. Swadesh Kumar — Member
  Assistant Professor, Political Science
  Agra C ra

- Dr. Pradeep Kumar Sharma — Member
  Assistant Professor, Centre for Globalization and
  Development Studies Allahabad University

Chapter Page No.

28. Re-Shaping India's Foreign Policy : Challenges and Strategies 212—215
Dr. Raj Kumar Kothari

SECTION B : HINDI

Part I : **घरेलू अवसर व चुनौतियाँ**

29. उदीयमान भारत में महिला मानवाधिकार : समस्याएं एवं चुनौतियाँ 219—223
श्री भोखर सिंह एवं डॉ. रीतू भाही

30. उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय शासन में दलितों की स्थिति 224—230
डॉ. अमरनाथ पासवान

31. उदीयमान भारत की उन्नति में नारी का योगदान 231—235
श्रीमती राजकुमारी द्विवेदी एवं डॉ. राजीव रत्न द्विवेदी

32. सूचना का अधिकार : भारतीय लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर 236—240
फिरोज अंसारी

33. संचार क्रांति और महिलाओं का बदलता सामाजिक स्वरूप 241—243
डॉ. आभा लता चौधरी

34. भारत में राजनैतिक दल : उनकी जबाबदेही और चुनौनियां 244—247
डॉ. हेमन्त कुमार

35. उदीयमान भारत में विकास–पर्यावरण के विशेष संदर्भ में 248—260
डॉ. शुभा द्विवेदी एवं सुधांशु मिश्रा

36. सामासिक संस्कृति बनाम साम्प्रदायिकता 261—267
डॉ. राजबहादुर मौर्य

37. नक्सलवाद की चुनौती और भारत 268—270
डॉ. सुरेश चन्द्र

38. भारत में समावेशी विकास एवं चुनौतियाँ 271—273
डॉ. वंशगोपाल एवं डॉ. शकुन्तला

39. 21वीं सदी के भारत में धर्म का मैक्सबेवर के धर्म की अवधारणा के सन्दर्भ में एक विश्लेषण 274—277
डॉ. विभा

उदीयमान भारत में महिला मानवाधिकार समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

श्री शेखर सिंह एवं डॉ. रीतू शाही*

"अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां है जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपनें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है।" लास्की का यह कथन मानवाधिकारों की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2घ में मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है। मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं चाहे उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, सामाजिक व आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

विकास की प्रक्रिया तभी सतत् रह सकती है जब उसका लाभ समाज के सभी वर्गो को प्राप्त हो और उस प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी भी हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय संविधान में पुरूषों के समान ही महिलाओं को भी कानूनी, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकारों की संस्थागत व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक एवं संसदीय प्रणाली के अनुरूप संविधान के अनु0 14,15,16,19 में महिलाओं को कानूनी,सामाजिक व राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। अनु0 14 में महिला एवं पुरूष दोनों को कानून के समक्ष समान माना गया है। यदि कोई महिला इस कानूनी समानता को प्राप्त करनें में असमर्थ है तो उसके लिए नीति निदेशक तत्व में 'निःशुल्क विधिक सहायता' का प्रावधान किया गया है अनु0 16 लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति बिना भेद भाव के अवसर की समानता की बात करता है। अनु0 19 महिलाओं के विचार एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदायों के गठन, जीविकोपार्जन आदि अधिकारों की बात करता है। इसके अलावा विभिन्न अनु0 में भी नारी अधिकारों को उल्लिखित किया गया है जिसमें 73वे व 74वे संविधान संशोधन 1993 द्वारा स्थानीय स्वशासन में एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व की बात की गयी है। इन संवैधानिक प्रावधानों के साथ–साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं द्वारा महिला अधिकारों एवं उनके सशक्तिकरण का प्रयास किया जाता रहा है।

डवाकरा–1982 ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार एवं शिशुओं के देखभाल करनें जैसी सेवाएं प्रदान करना।

स्वयंसिद्धा–स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु।

स्वावलम्बन–महिलाओं को स्थाई रोजगार हेतु प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध करवाना।

स्वाधार–कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को समग्र एवं एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराना।

* **श्री शेखर सिंह** असि. प्रो.राजनीति विज्ञान, दी.द.उ.राजकीय स्नात.महा., सीतापुर **एवं डॉ. रीतू शाही**, असि. प्रो.राजनीति विज्ञान आर.एम.पी.पी.जी.कालेज सीतापुर

राष्ट्रीय मातृत्व योजना–गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं को प्रसूति के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करानें हेतु।

किशोरी बालिका योजना–गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों की 11–18 वर्ष आयु की बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।

इन योजनाओं के अतिरिक्त हाल ही में सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों हेतु कुछ योजनाए शुरू की गई हैं।

जनधन योजना–इसमें महिला एवं पुरूष दोनों को बिना कुछ नगद जमा किये राष्ट्रीयकृत बैकों में बचत खाता खुलवानें की सुविधा।

सुकन्या समृद्धि योजना–इसमें बालिकाओं के शिक्षा एवं विवाह हेतु डाकघरों एवं बैकों में खाता खुलवानें पर सरकार द्वारा जमा पर उच्च ब्याज की सुविधा।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ–कन्या भ्रूणहत्या रोकने एवं उनके नामांकन का प्रतिशत के लिए।

संविधान इन अनु0 व अनेक योजनाओं के अतिरिक्त संसद में महिला सुरक्षा व उसकी स्थिति को मजबूत बनानें हेतु समय–समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं–

1– विशेष विवाह अधिनियम–1954 – इसके अन्तर्गत कोई महिला अपना धर्म बदले बिना किसी भी धर्म के व्यक्ति विवाह कर सकती है।

2– अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम–1956–वेश्यागृह चलाने या परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करनें पर दण्ड की व्यवस्था।

3– दहेज निषेध संशोधन अधिनियम–1986–विवाह में दहेज के लेने–देने पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था।

4– घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम–2005– पति या उसके साथ वाले किसी भी पुरूष या सगे सम्बन्धियों की हिंसा या प्रताडना से पत्नी या साथ रह रही किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करना। अधिनियम के अन्तर्गत तानें मारने से लेकर शारीरिक, यौन, भावनात्मक या आर्थिक शोषण करना या धमकी देना भी अपराध माना गया है।

इन अनेक संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न योजनाओं के लागू होने के बाद भी निर्णय निर्माण प्रकिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोष जनक नहीं है।

	पुरुष	महिला	कुल
14 वी लोकसभा	499	44	543
15 वी लोकसभा	485	58	543
16 वी लोकसभा	477	66	543

पिछले तीन लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व अधिकतम 12% ही पहुंच पाया है जो 33% से बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार 73 वें व 74 वें संविधान के बाद यद्यपि संवैधानिक रूप से महिलाओं को 33% सीट प्राप्त तो हो गयी किन्तु वास्तविक सत्ता पुरूषों के हाथों में ही रही। महिलाएं अपनें अधिकारों का प्रयोग धरातल पर नहीं कर पा रहीं है। 'प्रधान पति' शब्द इसी बात की पुष्टि करता है। महिला आरक्षण विधेयक का पास न होना इसका एक अन्य उदाहरण है।

निर्वाचन में टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रिमंडल में स्थान तक में महिलाओं को हासिये पर रखा जाता है।

यदि हम शिक्षा के परिपेक्ष्य में महिला अधिकारों की बात करें तो महिला सबसे वंचित वर्ग के रूप में नजर आती है। जनगणना 2011 के आंकडों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता 74.4% में पुरूषों की साक्षरता दर जहां 82.14% वहीं इसकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 65.46% ही है। अभी भी यह अंतर 17.68% का है जो चिन्ता का विषय है। महिला साक्षरता के असमानता का यह रूप उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में अलग–अलग तरीके से प्रदर्शित होता है। केरल में महिला साक्षरता जहाँ 91.98% है वही राजस्थान में यह 52.66% तथा बिहार में 53.33% ही है। जो शैक्षिक के साथ–साथ सामाजिक विभेद को भी रेखांकित करता है। महिला साक्षरता का यह विभेदीकरण विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर भी प्रदर्शित होता है। 2001–02 के नामांकन आंकडों के अनुसार (6–11 वर्ष, कक्षा 1–5) में बालकों का नामांकन प्रतिशत भारत में 105.29 है जब कि बालिकाओं का 86.91 है। वहीं (11–14 वर्ष, कक्षा 6–8) में बालकों का नामांकन 67.77 है जबकि बालिकाओं का 52.09 है। महिलाओं के प्रति यह शैक्षिक विभेद उच्च शिक्षा में भी विद्यमान है।

शिक्षा का स्तर / प्रकार	लडकों का प्रतिशत	लडकियों का प्रतिशत
बी0ए0	64.2	35.8
एम0ए0	62.2	37.8
तकनीकि प्रशिक्षण	80.9	19.1
पी0एच0डी0 / एम0फिल0	73.9	26.1

(स्त्रोत–महिला विकास एक मूल्यांकन)

शैक्षिक विभेद का यह अन्तर प्राथमिक शिक्षा से क्रमशः ऊपर की ओर और अधिक बढता जा रहा है। 10+2 के बाद कैरियर के निर्धारण में बालिकाएं अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है। उन्हे शिक्षा या चिकित्सा जैसे कुछ विशेष चुनिन्दा क्षेत्रों में ही जानें के लिए दबाव डाला जाता है। सेना, पुलिस या अपेक्षाकृत जोखिम भरे कैरियर से दूर रखनें हेतु अभिभावकगण प्रयास करते हैं।

दुनियां बहुत तेजी से बदल रही है और यह बदलाव कई दिशाओं में हो रहा है। पढ़ लिखकर महिलाएं अब घर की चारदीवारियों से निकलकर काम–काज की दुनियां में शामिल होना चाह रहीं हैं। लेकिन काम–काजी महिलाओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 40 फीसदी महिलाएं हीं अपनी इच्छा से कार्यशील होती हैं जब कि 25 फीसदी महिलाएं आर्थिक मजबूरी के चलते वह 25 फीसदी अपनी पति की इच्छा के कारण ऐसा करती है। (स्त्रोत उपरोक्त) 2001 की जनगणना आंकडों के अनुसार भारत में लगभग 40 फीसदी जनसंख्या कार्यशील है जिसमें लगभग एक चौथाई ही महिला सहभागिता है।

वहीं दूसरी ओर काम–काजी महिलाओं को कार्य स्थल पर मौखिक–शारीरिक–मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यह उत्पीड़न उनके सह कर्मी ही करते हैं। 'अवाग' (अहमदाबाद वूमेन्स एक्सन ग्रुप) नें 2004 के एक सर्वेक्षण में लगभग 48 प्रतिशत महिलाओं को कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न का शिकार बताया था। संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र में कार्य करनें वाली महिलाओं में यह उत्पीडन अपेक्षाकृत ज्यादा है। (स्त्रोत उपरोक्त)

सामाजिक क्षेत्र में भी महिला अधिकारों का हनन व उत्पीड़न विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इनमें घरेलू हिंसा, छेडखानी, कन्याभ्रूण हत्या, दहेज हत्या व बलात्कार प्रमुख है

कन्या भ्रूण हत्या—आज भारत में हजारों शिशुओं को गर्भ में ही इस लिए मार दिया जाता है कि वह एक कन्या है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण बाल लिंगानुपात (0–6वर्ष) में लगातार गिरावट आ रही है। कुछ राज्यों जैसे हरियाणा में तो यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है जनगणना आंकडों के अनुसार –

वर्ष	लिंगानुपात (0–6 वर्ष प्रति हजार में)
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	919

अगर सम्पूर्ण रूप में देखा जाये तो वयस्क लिंगानुपात 2011 में 943 है। सबसे कम हरियाणा में 877 है। आल्टसेटिव इकोनोमिक सर्वे के अनुसार यदि शीघ्र ही स्त्री–पुरूष अनुपात को सुधारा न गया तो 2020 तक करोडों युवकों को अविवाहित रहना पड़ सकता है।

घरेलू हिंसा/दहेज हत्या– राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकडों के अनुसार सख्त कानून व तमाम प्रयासों के बावजूद घरेलू हिंसा व दहेज हत्या के मामले बढ रहे हैं। जो घरेलू हिंसा ही नहीं अपितु महिला मानवाधिकार के खिलाफ एक जघन्य अपराध है।

वर्ष	संख्या
2010	8391
2011	8618
2012	8233

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह आंकडे भी पूरी तस्वीर प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्योंकि आर्थिक व सामाजिक कारणों से बहुतेरे मामले प्रकाश में ही नहीं आते है।

भारीरिक भोशण—शारीरिक शोषण के अन्तर्गत बलत्कार भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में रेप के मामले हर साल बढते ही जा रहे हैं। भारत में प्रत्येक 47 वें मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार होता है। NCRB के आंकडों के अनुसार देश में प्रतिदिन 50 घटनाएं रेप से सम्बन्धित पंजीकृत होती हैं। यदि केवल दिल्ली के आंकडों की बात करें, तो 2012 की तुलना में 2014 में दो गुना से भी अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए हैं।

अपहरण, तस्करी (देह व्यापार) बाल यौन भोशण आदि—अपहरण, तस्करी, बाल यौन शोषण, जबरन विवाह आदि महिलाओं के प्रति किए जा रहे मुख्य आपराधिक कृत्य हैं। बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 60 हजार से अधिक लड़कियों को उनके घर से बड़े शहरों में लाकर देह व्यापार में लगा दिया जाता है। हर आठ मिनट में एक बच्ची का अपहरण होता है।

वर्ष	संख्या
2011	21,691
2012	24,456
2013	29,420

यह एक सच्चाई है कि उत्पीड़न के तरीके भले ही अलग हों पर शहरी व ग्रामीण महिलाएं समान रूप से अवहेलना, उपेक्षा व उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं।

निष्कर्श / सुझाव–महाविद्यालय स्तर पर कराए गए एक महिला मानवाधिकार के विषय में सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि अधिकांशतः इस बारे में जानकारी का अभाव है। एक शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर छात्रों में जागरूकता का स्तर भी भिन्न–भिन्न है। महिला मानवाधिकार के सम्बन्ध में जानकारी के अभाव के कारण इससे होनें वाली समस्याओं व खतरों के विषय में भी अनभिज्ञयता है। किसी भी समाज को विकसित व सभ्य तभी कहा जा सकता है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढनें का अवसर प्राप्त हो। महिला मानवाधिकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान देनें की आवश्यकता है। शिक्षा तथा जागरूकता इसके सशक्त माध्यम हो सकतें हैं। शिक्षा व जागरूकता से महिला मानवाधिकार हनन की जानकारी होगी तथा इसका कानूनी उपचार भी सम्भव हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जनसंख्या 2011 के आंकड़े (घटना चक्र भारत की जनगणना 2011 अतिरिक्तांक)
2. चयनित शैक्षणिक सांख्यिकी 2000–02 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला विकास एक मूल्यांकन–प्रो0मधुसूदन त्रिपाठी)
3. महिला विकास एक मूल्यांकन – प्रो0 मधुसूदन त्रिपाठी
4. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो
5. बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट (समय से सम्वाद पत्रिका)
6. परीक्षा मंथन
7. महिला सशक्तिकरण का सच – मिनाक्षी निशांत सिंह
8. जानिए मानव अधिकारों को – अनीश भसीन
9. महिला और मानवाधिकार – एम.ए.अंसारी